स्कूलों में गर्मी लू-तापघात प्रभाव - बचाव तथा अग्रिम तैयारियों के निर्देश

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/ए/3569/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन/2018–25 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
समस्त।

विषय : गर्मी लू–तापघात प्रभाव को देखते हुये बचाव तथा तैयारियों/अग्रिम व्यवस्थाओं बाबत।

प्रसंग : विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग जयपुर का पत्रांक : प. 12(02) शिक्षा–5/2025–22961 दिनांक 10.03.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आगामी दिनों में गर्मी, हीट वेव एवं लू को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है, इस पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किये जाने एवं इससे बचाव हेतु पुख्ता इंतजाम किये जाने के निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं के लिए पर्याप्त हवा हेतु पंखों एवं छाया (Shade) आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- यदि किसी विद्यालयों में कक्षा कक्ष कम है/क्षतिग्रस्त/निर्माणाधीन हैं, ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों को खुले में नहीं बैठावे एवं आवश्यकता हो तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टेन्ट छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- सभी स्कूलों में भीषण गर्मी, हीट वेव लू से बचने के लिए एवं उल्टी, अपचन, घबराहट, ज्वर से बचने के लिए चिकित्सकों की सलाह से विद्यार्थियों की उम्र अनुसार आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट (First Aid Kit) में पर्याप्त आवश्यक दवाएं एवं ORS Kit विद्यालय में रखना सुनिश्चित करें।
- कोई भी खेल प्रशिक्षण या ड्रिल, पी.टी. आउटडोर गतिविधियां अथवा कैम्प गर्मी के दौरान खुले में नहीं करवाया जावे।
- परिवहन के ऐसे साधन जो खुले हो एवं सीधे धूप के संपर्क में हो, ऐसे साधनों से बच्चों का स्कूलों से परिवहन नहीं करवाया जाये एवं वाहन चालकों को अपने वाहनों में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट रखने हेतु निर्देशित किया जावे।
- विद्यालयों में वाटर बैल बजाई जावे ताकि कम से कम छोटे–छोटे ब्रेक्स पेयजल एवं बाथरूम के लिए सुनिश्चित हो सके एवं इस संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा छोटे बच्चों को अपने सुपरविजन में स्वच्छ पेयजल पिलाना सुनिश्चित किया जावे।

RajKaj Ref No.:
21045576
eSign DSC

लगातार पेज 2 पर

- सभी एसएमसी, एसडीएमसी द्वारा पीटीएम / सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से बच्चों को गर्मी से बचाने हेतु अभिभावकों को विशेष ध्यान व निगरानी रखने हेतु प्रेरित किया जावे।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(सीताराम जाट)
I.A.S
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज. (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रार. शि., कार्यालय हाजा।
4. उप निदेशक, आरटीई, कार्यालय हाजा।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को पालनार्थ।
7. एसीपी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाये जाने बाबत।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज. (प्रा.शि.) विभाग,
राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक
संघ द्वारा जानकारी के लिए प्रसारित

Signature Not Verified
Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :13-03-2026 06:31:54

RajKaj Ref No.: 21045576
eSign DSC